

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग
प्रेस विज्ञप्ति

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के द्वारा आयोजित द्वितीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, 2014 के आधार पर प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (बिहार पंचायत सेवा) के पद पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों (Candidates) के अभ्यर्थित्व की जाँच एवं प्रमाण-पत्रों के सत्यापन (Certificate Verification) हेतु निम्न प्रकार कार्यक्रम निर्धारित की जाती है :-

क्र० सं०	बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों का अनुक्रमांक (Roll No.)	सत्यापन की तिथि एवं समय	स्थान
1	2	3	4
1	116843, 114138, 100750, 108684, 111189, 111835, 109139 106245, 117082, 108860, 101073, 104677, 105695, 110111 100482, 110658, 110282, 117590, 114896, 107061, 101799 109524, 109087, 110454 एवं 101562 (कुल-25(पच्चीस))	12.09.2018 (बुधवार) 10:00 बजे पूर्वाह्न	पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का सभागार, (भू-तल)
2	116555, 102370, 101967, 114412, 112997, 115849, 106376 104444, 101848, 107905, 112151, 100532, 102870, 113953 112644, 116254, 102439, 113613, 108689, 111000, 109233 109867, 112539, 110244 एवं 115293 (कुल-25(पच्चीस))	13.09.2018 (वृहस्पतिवार) 10:00 बजे पूर्वाह्न	नया सचिवालय, विकास भवन पटना।

उपर्युक्त अनुक्रमांक के अभ्यर्थियों को अभ्यर्थित्व की जाँच एवं प्रमाण-पत्रों के सत्यापन हेतु निर्धारित तिथि को 10:00 बजे पूर्वाह्न उल्लिखित कार्यक्रमानुसार निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति तथा उनकी दो-दो स्वअभिप्रमाणित (Self Attested) छायाप्रति के साथ अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है :-

1. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र।
2. इण्टरमीडिएट एवं स्नातक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण-पत्र एवं अंक प्रमाण-पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।
3. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित प्रमाण-पत्र, जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया है।
4. अगर अभ्यर्थी सरकारी कर्मचारी हों तो नियोक्ता (Employer) से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (No Objection Certificate)।
5. अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण-पत्र (आरक्षित कोटि के अनु० जाति/अनु० जनजाति अभ्यर्थियों के लिए)।
6. बिहार राज्य सरकार की नौकरियों के निमित्त जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र (पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग हेतु)।
7. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्गत प्रवेश-पत्र (Admit Card)
8. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र।
9. पूर्ण रूप से भरा हुआ चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन प्रपत्र (दो प्रतियों में) अभ्यर्थी अपने साथ लावें। उक्त विहित प्रपत्र पंचायती राज विभाग के वेबसाइट www.biharprd.bih.nic.in पर उपलब्ध है।
10. पासपोर्ट साइज का हाल का 04(चार) कलर फोटो।
11. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा उनके विरुद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई केस दर्ज नहीं है एवं

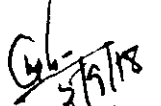


उनका आचरण प्रतिकूल नहीं हैं। उक्त शपथ पत्र हेतु विहित प्रपत्र पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के वेबसाईट www.biharprd.bih.nic.in पर उपलब्ध है।

12. कोई फोटोयुक्त दस्तावेज जो अभ्यर्थी के पहचान को प्रमाणित करें। (Any Identity Card/Aadhar Card/Ration Card/Driving License, Passport etc.)
13. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र।
14. प्रमाण-पत्रों के जाँच हेतु सम्मिलित होनेवाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा व्यय देय नहीं होगा।

नोट :-अगर अभ्यर्थी अपेक्षित मूल प्रमाण-पत्रों के साथ जाँच हेतु निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उनकी अभ्यर्थिता के संबंध में अलग से विधिसम्मत निर्णय लिया जायेगा।

28


(नजर हुसैन)
उप सचिव